

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - सोलिया



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 328/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025

क्र.सं..	नाम-ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश		
1	सोलिया	339, 341	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुत्ताविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ दीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ दीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्राविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ दीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्राविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशाषा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अध्याधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम 339/341 प.ह. 339/341 खालीस 339/341 में वर्तमान प्राविष्टी स्टेट बैंक ऑफ दीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>		
प्रतिनिधि पालनाथ:-			हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर गिरफ्तार	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (प.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला-चित्तौड़गढ